

आदेश - पत्र

(वेंचें अभिलेख हस्तक . 1941 का नियम -129)

1-पत्रक -ता 0. से तक।

जदवा विविध वाद सं० 45 /2016-17 सन् 2016 - 2017

का प्रकार - आवेदन नामान्तरण की शारिज करने हेतु

श की क्रम संख्या और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गयी कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित 3
--------------------------------	-------------------------------------	---

2016
02.2017

आवेदक श्री बहिसन अंशारी पिता स्व० जलदन अंशारी ग्राम-कोरवाडिह पी० कल्याणपुर थाना-जदवा द्वारा आवेदन दिया गया है।

आवेदन पत्र में ग्राम कोरवाडिह के शता सं० 79 (लॉट सं० 1323 रकबा 0.75 ए० शता सं० 79 (लॉट सं० 1324 रकबा 03.00 ए० भूमि का नामान्तरण के बाद चत्तर्दे मांग की शारिज करने का आवेदन प्राप्त है।

प्राप्त आवेदन पत्र के आलोक में दफ्तर कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक से जांच प्रतिवेदन की मांग की गई इसके विरुद्ध दफ्तर कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक से द्वारा जांच प्रतिवेदन समपित किया गया।

अदालत प्रश्नगत भूमि संबंधी दोनों पक्ष की राजस्व कागजात के साथ आदालतगारी के समक्ष उपस्थित होने हेतु नोटिश निगत्रि करे।

27/02
अंचल अधिकारी
जदवा

09.03.2017

अभिलेख उपस्थापित किया गया दोनों पक्ष न्यायालय में उपस्थित हुए दोनों पक्ष करी करी से अपना पक्ष बताने प्रथम

P.No
336/19.08.17

आवेदक द्वारा संबंधित भूमि का राजस्व कागजात प्रस्तुत किया। राजस्व कागजात की अवलोकन के पश्चात् अगला तिथि दिनांक 12.04.2016 की सुनवाई हेतु निर्धारित किया गया।

६/०३
अंचल अधिकारी
गढ़वा

12.04.2016 अभिलेख उपस्थापित किया गया प्रथम पक्ष आवेदक उपस्थित हुवे द्वितीय पक्ष विपक्षी ने अन्यायक विचार होने की सुचना लिखित रूप में सुनवाई के दौरान दिया गया।

इस कारण सुनवाई की अगली तिथि दिनांक 26.04.2017 को निर्धारित किया गया।

६/०४
अंचल अधिकारी
गढ़वा

26.04.17 अभिलेख उपस्थापित किया गया दोनों पक्ष उपस्थित हुवे और साक्ष्य के रूप में अपना अपना राजस्व कागजात प्रस्तुत किये।

प्रथम पक्ष आवेदक द्वारा ग्राम-कोरवाडिह के शत्रा सं 79 (प्लॉट 13 23 एवं 13 24 में कुल रकबा 03.75 एठ भूमि का अवैध-नमान्तरण को खारिज करने का राजस्व कागजात प्रस्तुत किये हुवे अनुरोध किया। द्वितीय पक्ष विपक्षी द्वारा बताया गया कि ग्राम कोरवाडिह के शत्रा सं. 79 (प्लॉट सं 13 23 एवं 13 24 रकबा 03.75 एठ भूमि का नमान्तरण के बाद से लगान रचिय कट रहा है।

साक्ष्यक प्रश्नगत भूमि का वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु दफ्तरा कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक से आधारभूत मासिक जांचपत्रिका की मांग करें।

६/०४
अंचल अधिकारी
गढ़वा

आदेश की क्रम संख्या और तारीख
1

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर
2

आदेश पर की गयी कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
3

23.07.17

आभिलेख उपस्थापित किया गया।
इसका कर्मचारी एवं आंचल निरीक्षक द्वारा अधिन
जांच प्रतिवेदन समाप्त किया गया। समाप्त जांच
प्रतिवेदन में प्रतिवेदी किया गया है कि ग्राम
कोरवाडिह के पंजीय के प्रक सं. 120/1 पर
मांगदारी अलिमार सिंह व हरवंश सिंह के नाम
से शता सं- 79 लॉट सं 1323 रकबा 0.72 एब
भूकत है। लॉट सं 1323 के रकबा 0.72 एब
का नामान्तरण कर 0.37 1/2 एब भूमि का लम्बन
मांगदारी 0.034 1/2 एब का मांग मोदीमूदिन कोरह
के नाम से मांग खुला है
शता सं 79 लॉट सं 1323 के रकबा 0.72
एब भूमि का नामान्तरण लम्बन मांगदारी एवं
मोदीमूदिन कोरह के नाम से होने के बाद उक्त
भूमि पर विक्री हेतु कोई रकबा नहीं बनया है
और मांगदारी का दस्तावेज कलजा भी है जोकि
शेख व हरवंश शेख के नाम से मांग काम किया
जाता है जोकि लॉट सं 1324 मांगदारी
अलिमार सिंह व हरवंश सिंह के डॉस्टिंग ~~120~~
पर है दिनांक 1/20
ग्राम कोरवाडिह के शता सं 79 लॉट सं
1323 रकबा 0.75 एब लॉट सं 1324 रकबा
03.00 एब कुल रकबा 03.75 एब भूमि का
अलिमार सिंह व हरवंश सिंह के डॉस्टिंग (प्रक
सं 120) से दस्तावेज आसिप बाद सं 1873 (14-15)
द्वारा जेकर शेख व हरवंश शेख ग्राम कोरवाडिह
के नाम से मांग पंजीय के प्रक सं 191 पर मांग
खुला गया है जो संदेशात्मक है जोकि लॉट
सं 1324 अलिमार सिंह व हरवंश सिंह के डॉस्टिंग
पर है दिनांक उक्त कारण प्रक सं 191 पर शता
79 लॉट 1323 रकबा 0.75 एब एब शता
79 लॉट 1324 रकबा 03.00 एब कुल रकबा
03.75 एब का मांग स्वगित कर उक्त शारीय
करने का जांच प्रतिवेदन में अनुपस्था किया
गया है।
इस संबंध में तत्कालिन इका कर्मचारी
एवं आंचल निरीक्षक द्वारा समाप्त जांच प्रतिवेदन
(दिनांक 9.11.16 का जांच प्रतिवेदन) में उक्त किया
गया है कि लॉट सं- 1324 रकबा 03.00 एब
भूमि प्रक सं 120 खरमा गया है जोकि उक्त

आदेश की
क्रम संख्या
और तारीख
1

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

2

आदेश
कारवाई
टिप्पणी

लॉट नं 1324 का मांग दि नहीं मिला है इस
कारण इस पंजी नं लॉट नं 1324 रुका
03.00 एं रुका 1323 रुका 0.75 एं
का नगलरण अवैध है जिसे शारिफ किया
जा सकता है।

नकालिन एवं वर्तमान हल्का कर्मचारी द्वारा
समाप्त जाँच प्रतियेदन का अवलोकन किया
साथ ही दोनों पक्षों द्वारा साम्य के रूप में
प्रस्तुत राजस्व कागज का भी अवलोकन किया
अवलोकनोपमान रूप से हुआ कि ग्राम कोरवाडिह
के सारा नं 9 (लॉट 1323 रुका 0.75 एं एं
भूमि का विक्री कर लगान यौधरी एवं मोहिबुद्दीन
वैगं के नाम से नगलरण के बाद उम्मा भूमि
पर विक्री हेतु भूमि घोष नहीं किया है तो उसी
भूमि का भवा शत नं 9 (लॉट 1323 एवं 1324
रुका 03.75 एं भूमि का नगलरण वाद नं 1813/14
15 द्वारा किया गया दायित्व शारिफ अवैध है
और (लॉट नं. 1324 का का वात है इसका
रुका 3.00 एं अलिफार सिंदव इरकम सिंद
के होल्डींग पर है हिमरी।

हल्का कर्मचारी एवं अंभल निरीक्षक द्वारा
समाप्त जाँच प्रतियेदन एवं दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत
राजस्व कागज के अवलोकनोपमान ग्राम कोरवाडिह
के सारा नं 9 (लॉट 1323 एवं 1324 कुल
रुका 03.75 एं भूमि का मांग पंजी 191 पर
भल रहे मांग को नकाल रूपगि करनी का
आदेश किया जाया है। स्वयंसेवक आदेश की प्रति
हल्का कर्मचारी को उपलब्ध कराएँ।

अतः हल्का कर्मचारी एवं अंभल निरीक्षक
द्वारा समाप्त जाँच प्रतियेदन एवं दोनों पक्षों द्वारा
प्रस्तुत कागज के आधार पर दायित्व शारिफ वाद
नं 1813/14-15 में किये गये नगलरण के पक्ष
ग्राम कोरवाडिह के सारा नं 9 (लॉट 1323 रुका
0.75 एं एवं सारा नं 9 (लॉट 1324 रुका 3.00 एं
कुल रुका 03.75 एं भूमि का मांग पंजी 191 पर
भल रहे मांग को शारिफ करने की
जाती है।

स्वयंसेवक अंभल निरीक्षक उपसहायकी भूमि सुधार
गठवा की भेजे।
ले समाप्त एवं संशोधित
अंभल अधिकारी गठवा
अंभल अधिकारी गठवा

कार्यालय— अंचल अधिकारी, गढ़वा

आदेश

ग्राम— कोरवाड़ीह के खाता संख्या—79, प्लॉट संख्या—1323, रकबा—0.75 ए0 एवं खाता संख्या—79, प्लॉट संख्या—1324, रकबा—03.00 एकड कुल—रकबा— 03.75 ए0 भूमि का अवैध रूप से नामान्तरण को खारिज करने हेतु आवेदक श्री वहीसन अंसारी पिता श्री जबादन अंसारी ग्राम— कोरवाड़ीह द्वारा प्राप्त आवेदन के आलोक में विविध वाद संख्या—45/16-17 में दाखिल खारिज वाद संख्या—1873/14-15 में किये गये नामान्तरण के पश्चात मांग पंजी—II के पेज संख्या—191/09 पर चल रहे मांग को खारिज करने हेतु अनुशंसा कर उप समाहर्ता भूमि सुधार, गढ़वा को अभिलेख भेजी जा रही है।

अतः ग्राम— कोरवाड़ीह के खाता संख्या—79, प्लॉट संख्या—1323, रकबा—0.75 ए0 एवं खाता संख्या—79, प्लॉट संख्या—1324, रकबा—03.00 एकड कुल—रकबा— 03.75 ए0 भूमि का दाखिल खारिज वाद संख्या—1873/14-15 में किये गये नामान्तरण के पश्चात मांग पंजी—II के पेज संख्या—191/09 पर चल रहे मांग को विविध वाद के कार्रवाई में आदेश आने तक स्थगित किया जाता है।

ह0 / -
अंचल अधिकारी,
गढ़वा

ज्ञापांक— 1004 दिनांक— 11.08.2017

प्रतिलिपि— श्री रनविजय चन्द्रकान्त राय को, हल्का कर्मचारी, हल्का सं0-4, को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि ग्राम— कोरवाड़ीह के खाता संख्या—79, प्लॉट संख्या—1323, रकबा—0.75 ए0 एवं खाता संख्या—79, प्लॉट संख्या—1324, रकबा—03.00 एकड कुल—रकबा— 03.75 ए0 भूमि का चल रहे मांग को आदेश आने तक स्थगित रखने की कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।

23/07
अंचल अधिकारी,
गढ़वा

0/L

फखरी परतकीथ
वहीसन अंसारी